भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1838
जिसका उत्तर शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

अदालतों में लंबित मामले

1838 श्री शंकर लालवानी :

श्री अरुण कुमार सागर :

श्रीमती संगीता आजाद :

श्रीमती रंजीता कोली :

डॉ. मनोज राजोरिया :

श्री कोडिकुन्नील सुरेश.

डा. भारतीबेन डी श्याल :

श्री बालक नाथ :

श्री गोपाल शेट्टी :

श्री गौरव गोगोई

श्री सुमेधानन्द सरस्वती :

श्री संजय सेठ :

श्री हनुमान बेनीवाल :

कुमारी चन्द्राणी मुर्मु :

श्री डी. एम. कथीर आनन्द :

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2014 से उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, जिला और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसक अपराध सहित लंबित पड़े हुए मामलों की राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र/ अदालत और श्रेणी-वार संख्या कितनी है और इतने मामलों के लंबित रहने के चिह्नित कारण क्या है;

(ख) 2014 से लम्बित मामलों में वर्ष-वार और न्यायालय-वार कितनी प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई ;

(ग) न्यायालय और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने मामलों का निपटारा किया गया और उनके निपटान में औसतन कितना समय लगा ;

(घ) क्या लंबित मामलों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव और न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करने के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और वर्तमान वर्ष में वर्चुअल अदालतों, विशेष अदालतों, फास्ट ट्रैक अदालतों तथा आपसी सुलह से निपटाए गए लंबित मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए मंजूर की गई निधि तथा उससे प्राप्त सफलता का न्यायालय और राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : भारत के उच्चतम न्यायालय में 2014 से अब तक महिलाओं के खिलाफ हिंसक अपराध सहित लंबित मामलों की कुल संख्या उपाबंध- I पर दी गई हैं और उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए तत्स्थानी जानकारी क्रमशः उपाबंध-II और उपाबंध-III पर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित जानकारी को उस तरह से नहीं रखा जाता है जैसा कि मांगी गयी है। उच्चतम न्यायालय के विषय प्रवर्ग के अनुसार, विषय प्रवर्ग 1403 "दहेज, दहेज मृत्यु, महिला छेड़खानी, घरेलू हिंसा, आदि के लिए उत्पीड़न, क्रूरता से संबंधित मामले " से संबंधित है। भारत के उच्चतम न्यायालय में 2014 के पश्चात् उपरोक्त विषय प्रवर्ग में लंबित मामलों की कुल संख्या 283 है, जैसा कि 12.12.2022 तक एकीकृत मामला प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईसीएमआईएस) से ज्ञात हुआ है

उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में हिंसक अपराधों सहित महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित मामलों की जानकारी न्याय विभाग में केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती हैं। तथापि, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के अनुसार उच्च न्यायालय-वार और राज्य-वार उपलब्ध "महिलाओं द्वारा दायर मामलों" के प्रवर्ग से संबंधित जानकारी क्रमशः उपाबंध-IV और उपाबंध-V पर रखी गई है।

न्यायालयों में मामलों के निपटान का विनिश्चय करने में असंख्य कारक काम करते हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग जैसे कि बार, अन्वेषण अभिकरण, गवाह और मुवक्किल और नियमों तथा प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित है । ऐसे कई कारक है जिनसे मामलों के निपटान में विलंब होता हैं । इनमें अन्य बातों के साथ न्यायाधीशों के पदों का रिक्त होना, बारंबार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों की मानीटरी, खोज और एकत्रण की पर्याप्त व्यवस्था का अभाव सम्मिलित है ।

(ख) : उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 2014 से लंबित मामलों में प्रतिशत वृद्धि या कमी दर्शाने वाला विवरण उपाबंध-VI पर रखा गया है।

(ग) : उच्चतम न्यायालय के संबंध में निपटाए गए मामलों की संख्या की जानकारी उस तरीके से नहीं रखी जाती है, जैसा कि मांगी गयी है। तथापि, 31.10.2022 तक भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाए गए मामलों की कुल संख्या 29,109 है। उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वर्ष 2014 से 2022 तक निपटाएं गए मामलों का विस्तृत विवरण क्रमशः उपाबंध-VII और उपाबंध-VIII पर रखा गया है। तथापि, न्याय विभाग द्वारा मामलों के निपटान में लिए गए औसत समय के संबंध में जानकारी केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती हैं।

(घ) : यद्यपि, लंबित मामलों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का ऐसा कोई अध्ययन शुरू नहीं किया गया है, राष्ट्रीय लॉकडाउन की घोषणा के पश्चात्, स्थानीय स्थितियों के आधार पर आभासी या भौतिक मोड में तत्काल सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर अपने प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र वाले अधीनस्थ न्यायालयों को कई निदेश जारी किए गए थे। जमीनी स्थिति के अनुसार न्यायालयों द्वारा आभासी और भौतिक सुनवाई का मिश्रण अपनाया गया था ।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अधीन, भारतीय न्यायपालिका के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षमता और आउटरीच के लिए 2007 से एक ई-न्यायालय परियोजना लागू की जा रही है। यह परियोजना संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से विकेंद्रीकृत तरीके से भारत सरकार के न्याय विभाग और भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति की संयुक्त साझेदारी के अधीन कार्यान्वित की जा रही है। न्यायिक क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग का पता लगाने के लिए, भारत के उच्चतम न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी का गठन किया है, जिसने मुख्य रूप से न्यायिक दस्तावेजों के अनुवाद, विधिक अनुसंधान में सहायता और प्रक्रिया स्वचालन में एआई तकनीक के अनुप्रयोग की पहचान की है।

एआई समिति के पर्यवेक्षण में, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, एसयूवीएएस (सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर) न्यायिक डोमेन अंग्रेजी दस्तावेजों को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने और इसके विपर्ययेन के लिए विकसित किया गया है । आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए एआई आधारित विधिक अनुसंधान सहायता टूल, एसयूपीएसीई (सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी) विकसित किया गया है।

ई-न्यायालय परियोजना चरण III के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का अनुमोदन किया है जिसमें एआई और ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी को शामिल करने वाले घटक शामिल हैं जिन्हें सरकार द्वारा यथा निर्धारित खरीद की सम्यक् प्रक्रिया के अनुसरण के पश्चात् बाजार में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी से विकसित किया और खरीदा जाएगा।

(ङ) : यातायात चालान, राष्ट्रीय लोक अदालत, फास्ट ट्रैक न्यायालयों और फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के लिए वर्चुअल न्यायालयों के माध्यम से निपटाए गए और लंबित मामलों का अलग-अलग राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण उपाबंध-IX पर दिया गया है।

(च) : विभिन्न न्यायालयों के संबंध में स्वीकृत निधियों और उनसे प्राप्त की गई सफलता के ब्यौरे निम्नानुसार है :

<u>ई-न्यायालय मिशन मोड के अधीन वर्चुअल न्यायालय :</u> सरकार ने जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को परिचालन योग्य बनाने के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के लिए संपूर्ण देश में ई-

न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना को क्रियान्वित किया है। ई-न्यायालय परियोजना चरण 1 (2011-2015) के अधीन जारी की गई निधि 639.41 करोड़ रुपए है और चरण 1 के अधीन जारी की गई निधि 1668.43 करोड़ रुपए है ।

अब तक कम्प्यूटरीकृत जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है । 99.3% न्यायालय परिसरों को वैन की संयोजिता प्रदान की गई है। सभी पणधारी जिसके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी है, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) कंम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधी जानकारी तक पहुंच बना सकते हैं । 01.12.2022 तक, वादकारी इन न्यायालयों से संबंधित 21.74 करोड़ से अधिक मामलों की प्रास्थिति और 19.80 करोड़ आदेश/निर्णय तक पहुँच बना सकते हैं। ई-न्यायालय सेवाएं, जैसे वादकारीयों और अधिवक्ताओं के लिए सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश एण्ड पुल सर्विस में ई न्यायालय पोर्टल ,न्यायिक सेवा केन्द्रों (जेएससी) के माध्यम से ई-न्यायालय सेवाऐं, जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे उपलब्ध हैं । वीडिओ कॉन्फ्रेसिंग सुविधा के माध्यम से 3240 न्यायालय परिसर तथा 1272 तत्स्थानी कारावासों को समर्थ बनाया गया है ।कोविड- 19 चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभालने और वर्चुअल सुनवाई को सुचारू बनाने के उद्देश्य से, निर्णय/आदेश प्राप्त करने, जानकारी और ई फाइलिंग प्रसुविधा से संबंधित न्यायालय/मामले प्राप्त करने से सहायता की आवश्यकता के लिए वकीलों और वादकारियों को न्यायालय परिसरों में 619 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है ।

17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में यातायात अपराधों को कम करने की कोशिश करने के लिए 21 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 03.03.2022 तक, इन न्यायालयों ने 1.69 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला है और 271.48 करोड़ रुपए के जुर्माना से अधिक की वसूली की है।

<u>नाल्सा तत्वावधान के अधीन विशेष अदालत/राष्ट्रीय लोक अदालतें :</u> लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण अनुकल्पि विवाद समाधान तंत्र है । यह ऐसा मंच है जहां न्यायालय में या मुकदमा पूर्व प्रक्रम्य पर लंबित विवाद/मामलें निपटाए जाते हैं/उन पर आपस में समझौता किया जाता हैं । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा), वह अभिकरण, जिसके अधीन लोक अदालतें स्थापित की गई हैं, के लिए जारी की गई निधियां इस प्रकार हैं :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	जारी की गई निधियां
2019-20	140
2020-21	100
2021-22	145
2022-23 (03.12.2022 तक)	120.85

न्यायालय में मामलों की लंबितता कम करने और पूर्वमुकद्दमेबाजी स्तर पर विवादों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतें पूर्व नियत तारीख पर सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में साथ-साथ आयोजित की जा रही हैं ।

त्वरित निपटान न्यायालय : चौदहवें वित्त आयोग ने सरकार के राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना करने से है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से संबंधित मामले सम्मिलित हैं तथा राज्य सरकारों को ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बढे हुए कर न्यागमन 32% से 42% वृद्धि करने के प्ररूप में उपबंध करने के लिए अतिरिक्त राजकोषीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया है। उपरोक्त के अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने भारतीय दंड संहिता के अधीन बलात्संग तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है ।

अब तक 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस स्कीम में जोडा गया है । स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 140 करोड रुपए जारी किए गए थे तथा वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान 160 करोड रुपए जारी किए गए है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 134.557 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं तथा अक्टूबर, 2022 तक वित्तीय वर्ष के दौरान 53.55 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं ।

31.10.2022 की स्थिति के अनुसार, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरूद्ध अपराधों के लिए 838 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में एक प्रत्येक और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में दो) स्थापित किए गए हैं। 731 एफटीएससी वर्तमान में 412 अनन्य पॉक्सो न्यायालयों सहित कार्य कर रहे हैं, जिसमें 31.10.2022 तक 1,24,000 मामलों का निपटारा किया गया।

****

उपाबंध 1

'न्यायालय में लंबित मामलों' के संबंध में लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1838 जिसका उत्तर 16.12.2022 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण

उच्चतम न्यायालय में 2014 से 2022 तक लंबित मामले

क्र. सं.	वर्ष	वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या
1.	2014	62791
2.	2015	59272
3.	2016	62537
4.	2017	55588
5.	2018	57346
6.	2019	59859
7.	2020	65086
8.	2021	70239
9.	2022 (31.10.2022तक)	69781

स्रोत : – भारत का उच्चतम न्यायालय

उपाबंध 2

'न्यायालय में लंबित मामलों' के संबंध में लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1838 जिसका उत्तर 16.12.2022 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण

2014 से 2022 तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

क्र. सं.	उच्च न्यायालय का नाम	लंबित मामलों की कुल संख्या								
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	इलाहाबाद	1014146	918829	916046	908827	939475	944657	993031	1031587	1030538
2	आंध्र प्रदेश	249701	270272	291761	325608	354833	193594	205556	223783	240569
3	तेलंगाना						206413	223064	240029	236549
4	बॉम्बे	364576	246441	261649	274305	287864	305962	325332	353143	371787
5	कलकत्ता	286306	221282	219064	222648	231576	228060	237363	234909	223636
6	छत्तीसगढ	45077	50111	55642	59456	63574	69316	75836	81001	88089
7	दिल्ली	66989	68784	67082	70284	74536	80950	91279	101685	106110
8	गुजरात	87356	84954	82846	113775	114962	129184	143167	155006	159711
9	गुवाहाटी	43048	25948	29469	30909	33445	37243	40998	44356	46624
10	मेघालय	738	899	700	697	782	757	1064	1201	89689
11	मणिपुर	4374	3315	3286	3670	3062	2468	2849	3218	47323
12	त्रिपुरा	4465	3037	2918	2759	2977	2586	2343	1736	86291
13	हिमाचल प्रदेश	39616	32100	29874	31359	36177	54452	74158	82354	258493
14	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	102156	56453	59404	62062	64042	71693	59162	48318	237641
15	झारखंड	80815	80419	85757	90988	88932	85272	88435	88364	420758
16	कर्नाटक	214120	237454	277620	323725	357604	271929	249733	246413	241448
17	केरल	145906	157369	166735	177262	192754	196823	212515	226494	3121
18	मध्य प्रदेश	258713	273827	289445	307420	331388	357929	383784	408527	908
19	मद्रास	263569	284428	297615	302476	293004	272722	269417	259980	170187
20	ओडिशा	202082	169453	168003	168297	167909	150562	172900	196483	212203
21	पटना	138251	128738	134459	144667	153486	172425	179462	226071	444370
22	पंजाब और हरियाणा	279699	288351	302313	331538	337231	353888	378856	451985	590071
23	राजस्थान	228887	245453	254729	261943	285012	459828	518499	560062	164
24	सिक्किम	108	114	170	210	252	234	239	179	1695
25	उत्तराखंड	23105	26680	32004	30022	34049	35407	37923	40963	43309
	कुल	**4143803**	**3874711**	**4028591**	**4244907**	**4448926**	**4684354**	**4966965**	**5307847**	**5351284**

स्रोत : – भारत का उच्चतम न्यायालय

उपाबंध 3

'न्यायालय में लंबित मामलों' के संबंध में लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1838 जिसका उत्तर 16.12.2022 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण

2014 से 2022 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	लंबित मामलों की कुल संख्या								
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	उत्तर प्रदेश	5517004	5574490	5980071	6390684	6987417	7807863	8781104	9966606	10641073
2	आंध्र प्रदेश	1014372	1031515	1077944	1040864	1068400	567096	649157	785379	827790
3	तेलंगाना						580193	691646	790360	822658
4	महाराष्ट्र	2868764	2994074	3239540	3340050	3531425	3821487	4504573	4800895	4919254
5	गोवा	35001	39615	42074	39249	42783	49049	58967	59414	56082
6	दीव और दमण	4717	5626	5486	5295	5468	5344	6281	6523	2857
7	सिल्वासा									3784
8	पश्चिमी बंगाल	2556461	2618813	2728753	2141254	1950492	2048697	2170788	2384020	2481419
9	अंदमान और निकोबार	9230	9495	8767	9227	10229	9795	9839	9321	9163
10	छत्तीसगढ़	278887	285962	290434	277338	267429	285025	331849	381984	403266
11	दिल्ली	459267	568909	636121	747704	834813	882366	1018642	1231373	1440149
12	गुजरात	2179979	2142011	1822311	1555203	1447459	1595813	1917992	1952262	1808627
13	असम	240597	242503	258639	276520	291960	301427	360753	415024	478356
14	नगालैंड	3553	3862	4430	4749	4994	3361	4206	4569	4605
15	मेघालय	14249	14988	15239	14775	13584	13673	15830	16010	15576
16	मणिपुर	15147	6885	6978	6799	6216	6516	6957	8183	7654
17	त्रिपुरा	115209	129789	148275	107089	58261	27491	44654	43096	38986
18	मिजोरम	3730	4671	4665	5148	6154	6589	6338	6304	5843
19	अरुणाचल प्रदेश	5895	8776	14583	9878	9652	10658	12651	14318	16029
20	हिमाचल प्रदेश	226224	206727	235193	234639	256640	293706	420891	464892	504912
21	जम्मू और कश्मीर	185078	199699	145999	161674	163520	172769	198771	216245	258228
22	झारखंड	315484	324357	342768	338680	330607	365642	427130	490905	499687
23	कर्नाटक	1226112	1268966	1362167	1432952	1494608	1531008	1709220	1780802	1878045
24	केरल	1331558	1345127	1482667	1623212	1652509	1614277	2089289	2089147	1992343
25	लक्षद्वीप सं.रा.क्षे.	418	380	357	354	364	397	453	470	539
26	मध्य प्रदेश	1181459	1191799	1260637	1332566	1354602	1455435	1727293	1920613	1957175
27	तमिलनाडु	1038820	1082793	1071366	1065878	1084286	1137684	1263758	1331944	1383865
28	पुदुचेरी	24431	24973	28155	26930	27161	30094	33470	32998	32216
29	ओडिशा	1070377	1064039	1049325	1178882	1319031	1433522	1592250	1789677	1846520
30	बिहार	1923649	2073303	2128325	2223744	2502204	2714344	3016743	3276696	3434130
31	पंजाब	507663	504028	504320	572802	602014	642327	843791	945609	952777
32	हरयाणा	493768	524281	547736	643394	728097	853375	1101330	1313881	1445775

33	चंडीगढ़	40414	36322	38907	41695	56357	62955	70633	72384	88805
34	राजस्थान	1454566	1479173	1573986	1635389	1732308	1769823	1947688	2162774	2248201
35	सिक्किम	999	1460	1434	1405	1208	1142	1455	1616	1645
36	उत्तराखंड	145326	166618	190948	210018	232338	195281	249350	287204	318743
	कुल	**26488408**	**27176029**	**28248600**	**28696040**	**30074590**	**32296224**	**37285742**	**41053498**	**42826777**

स्रोत : – भारत का उच्चतम न्यायालय

उपाबंध 4

'न्यायालय में लंबित मामलों' के संबंध में लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1838 जिसका उत्तर 16.12.2022 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण

एनजेडीजी के अनुसार उच्च न्यायालयों में महिलाओं द्वारा दायर मामले (15.12.2022 तक)				
क्र.सं.	**उच्च न्यायालयों का नाम**	**सिविल**	**दांडिक**	**कुल**
1	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	23626	15904	39530
2	बंबई उच्च न्यायालय	44163	7281	51444
3	कलकत्ता उच्च न्यायालय	3944	484	4428
4	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	5932	523	6455
5	तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय	15615	1967	17582
6	आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय	7239	1058	8297
7	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	10167	1887	12054
8	गुजरात उच्च न्यायालय	676	1551	2227
9	हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय	5444	304	5748
10	जम्मू और कश्मीर का उच्च न्यायालय	2302	369	2671
11	झारखंड उच्च न्यायालय	3988	1803	5791
12	कर्नाटक उच्च न्यायालय	2725	250	2975
13	केरल उच्च न्यायालय	6192	738	6930
14	उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश	46501	10818	57319
15	मणिपुर का उच्च न्यायालय	336	26	362
16	मेघालय का उच्च न्यायालय	135	11	146
17	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	14750	7138	21888
18	राजस्थान का उच्च न्यायालय	49832	12017	61849
19	सिक्किम का उच्च न्यायालय	17	2	19
20	उच्च न्यायालय त्रिपुरा	216	7	223
21	उत्तराखंड उच्च न्यायालय	4001	1877	5878
22	मद्रास उच्च न्यायालय	7812	4504	12316
23	उड़ीसा उच्च न्यायालय	11698	1506	13204
24	पटना उच्च न्यायालय	9992	4354	14346
	कुल	**277303**	**76379**	**353682**

स्रोत: एनजेडीजी (राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड)

उपाबंध 5

'न्यायालय में लंबित मामलों' के संबंध में लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1838 जिसका उत्तर 16.12.2022 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण

एनजेडीजी के अनुसार जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में महिलाओं द्वारा दायर मामले (15.12.2022 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सिविल	दांडिक	कुल
1	अंदमान और निकोबार	734	23	757
2	आंध्र प्रदेश	84851	20480	105331
3	असम	21203	28487	49690
4	बिहार	95341	282544	377885
5	चंडीगढ़	4396	2833	7229
6	छत्तीसगढ	15999	15235	31234
7	दिल्ली	31198	53739	84937
8	दीव और दमण	154	69	223
9	सिलवासा में डी.एन.एच	130	90	220
10	गोवा	5819	1745	7564
11	गुजरात	36235	63054	99289
12	हरियाणा	60143	44146	104289
13	हिमाचल प्रदेश	18308	14945	33253
14	जम्मू और कश्मीर	8361	7466	15827
15	झारखंड	14075	39763	53838
16	कर्नाटक	157582	58453	216035
17	केरल	122703	47216	169919
18	लद्दाख	67	68	135
19	मध्य प्रदेश	87121	95527	182648
20	महाराष्ट्र	227543	155920	383463
21	मणिपुर	1624	813	2437
22	मेघालय	1566	1087	2653
23	मिजोरम	386	123	509
24	नागालैंड	22	32	54
25	ओडिशा	359	292	651
26	ओडिशा	43644	36402	80046
27	पुदुचेरी	2996	952	3948
28	पंजाब	53205	48234	101439
29	राजस्थान	77501	73959	151460
30	सिक्किम	167	81	248
31	तमिलनाडु	143304	22340	165644
32	तेलंगाना	74963	41668	116631
33	त्रिपुरा	2936	2342	5278
34	उत्तर प्रदेश	232618	547960	780578
35	उत्तराखंड	6412	8873	15285
36	पश्चिमी बंगाल	97229	158584	255813
	कुल	**1730895**	**1875545**	**3606440**

स्रोत: एनजेडीजी (राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड)

उपाबंध 6

'न्यायालय में लंबित मामलों' के संबंध में लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1838 जिसका उत्तर 16.12.2022 को दिया जाना है के भाग (ख) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण

2014 से 2022 तक विभिन्न मामलों में लंबित मामलों में प्रतिशत वृद्धि				
वर्ष		उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय	जिला और अधीनस्थ न्यायालय
2014	कुल लंबित मामले	62791	4143803	26488408
2015	कुल लंबित मामले	59272	3874711	27176029
	% वृद्धि/ कमी	-5.60%	-6.49%	2.60%
2016	कुल लंबित मामले	62537	4028591	28248600
	% वृद्धि/ कमी	5.51%	3.97%	3.95%
2017	कुल लंबित मामले	55588	4244907	28696040
	% वृद्धि/ कमी	-11.11%	5.37%	1.58%
2018	कुल लंबित मामले	57346	4448926	30074590
	% वृद्धि/ कमी	3.16%	4.81%	4.80%
2019	कुल लंबित मामले	59859	4684354	32296224
	% वृद्धि/ कमी	4.38%	5.29%	7.39%
2020	कुल लंबित मामले	65086	4966965	37285742
	% वृद्धि/ कमी	8.73%	6.03%	15.45%
2021	कुल लंबित मामले	70239	5307847	41053498
	% वृद्धि/ कमी	7.92%	6.86%	10.11%
2022	कुल लंबित मामले	69781	5351284	42826777
	% वृद्धि/ कमी	-0.65%	0.82%	4.32%

उपाबंध 7

'न्यायालय में लंबित मामलों' के संबंध में लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1838 जिसका उत्तर 16.12.2022 को दिया जाना है के भाग (ग) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण

'अदालत में लंबित मामले'.

2014 से 2022 तक उच्च न्यायालयों में निपटाए गए मामले

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	निपटाए गए मामलों की कुल संख्या								
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	इलाहाबाद	310294	265298	280986	301259	298035	319573	169158	243392	111491
2	आंध्र प्रदेश	66239	61690	69638	62047	66513	21516	26572	31860	17703
3	तेलंगाना						35514	22701	40334	21651
4	बॉम्बे	130580	81809	82484	93917	91690	90757	34615	57835	23684
5	कलकत्ता	95656	75248	70862	62209	50979	63148	24785	52466	29057
6	छत्तीसगढ	30429	25892	28085	31493	37215	39488	23678	30809	9348
7	दिल्ली	40154	44184	46027	39779	44096	41013	19578	27490	13569
8	गुजरात	70332	82367	97217	87164	58765	65424	43394	58412	24329
9	गुवाहाटी	27467	14191	11601	16097	14552	14154	6755	9359	3713
10	मेघालय	1724	924	612	673	737	1008	458	649	10858
11	मणिपुर	1926	1611	1726	1325	2527	2265	717	1151	4380
12	त्रिपुरा	5144	4372	2761	3128	2401	3650	2434	2800	13183
13	हिमाचल प्रदेश	62270	33436	24941	21233	23116	27752	22203	30054	25596
14	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	23151	12761	12293	14386	14875	10223	19431	23617	21081
15	झारखंड	22327	31314	28725	32632	39822	45298	28337	40637	32996
16	कर्नाटक	119824	121951	116951	100279	102451	231024	161110	89988	54319
17	केरल	72173	81452	80188	80255	86341	82070	50590	57003	546
18	मध्य प्रदेश	128253	117860	120020	120310	109766	110626	77032	103415	334
19	मद्रास	179287	141154	145239	142084	162081	179144	105586	146244	44722
20	ओडिशा	76523	105104	71474	74798	63236	93224	61335	105525	38846
21	पटना	81449	99530	87482	98191	117984	117707	51637	60822	49680
22	पंजाब और हरियाणा	114799	119968	114486	105966	122972	128085	71835	87310	45606
23	राजस्थान	113646	80818	94428	112573	102529	172329	84300	124930	44
24	सिक्किम	230	201	169	190	150	223	136	217	586
25	उत्तराखंड	13386	13696	12884	22541	18993	21834	13496	14703	4825
	कुल	**1787263**	**1616831**	**1601279**	**1624529**	**1631826**	**1917049**	**1121873**	**1441022**	**602147**

स्रोत :- भारत का उच्चतम न्यायालय

उपाबंध 8

'न्यायालय में लंबित मामलों' के संबंध में लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1838 जिसका उत्तर 16.12.2022 को दिया जाना है के भाग (ग) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण

2014 से 2022 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में निपटाए गए मामले

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	निपटाए गए मामलों की कुल संख्या								
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	उत्तर प्रदेश	3182318	3313424	3618460	3288866	3282885	3426942	2274687	3972255	2112432
2	आंध्र प्रदेश	647130	658713	603017	760582	741390	364947	166918	244105	142025
3	तेलंगाना						331963	133518	368092	147077
4	महाराष्ट्र	1536322	1649187	2281027	2378096	2196271	1877895	752986	1388604	459756
5	गोवा	30625	34765	34130	34814	36235	32634	14130	32953	7302
6	दीव और दमण	2771	3323	3810	3302	4001	4081	2225	3875	554
7	सिल्वासा									533
8	पश्चिमी बंगाल	1078273	1091807	1050880	1694427	1016319	683238	307850	476809	226450
9	अंदमान और निकोबार	11036	7936	8761	7776	7284	8563	4054	10124	2788
10	छत्तीसगढ़	176144	195174	195514	208498	229548	214399	78278	195240	66791
11	दिल्ली	930732	636078	644624	740779	808156	814555	245879	353683	186126
12	गुजरात	1132433	1093664	1586926	1386529	1418688	1142383	394455	1447320	350239
13	असम	276138	272538	251119	313617	311150	254823	94574	182346	77553
14	नागालैंड	3047	4826	4415	2957	3514	5728	2488	3921	1440
15	मेघालय	11691	18429	11100	12316	8517	7890	3163	5232	1863
16	मणिपुर	14257	7395	6588	5256	4379	3717	1747	1411	1222
17	त्रिपुरा	193003	209282	185283	169763	139931	90786	26095	55417	15537
18	मिजोरम	10747	10355	10905	12497	12563	15107	11524	11236	3773
19	अरुणाचल प्रदेश	7615	5238	4384	12165	7499	7735	4144	8156	3182
20	हिमाचल प्रदेश	409732	316717	322008	317251	343667	483869	187035	384726	130096
21	जम्मू और कश्मीर	297507	392819	98638	110825	146194	81520	62465	109071	96407
22	झारखंड	110068	118845	104284	157765	194200	187370	108247	142674	83729
23	कर्नाटक	1367041	1209127	1079586	1144693	1120397	1272673	961619	1848768	436697
24	केरल	1355926	1338443	11993996	983409	961840	1005350	365958	816047	260100
25	लक्षद्वीप सं.रा.क्षे.	114	280	269	191	237	201	238	284	71
26	मध्य प्रदेश	1113382	1073584	1074131	1218909	1386280	1207541	681333	1122497	322761
27	तमिलनाडु	1949061	1151349	1017111	1015322	906184	849240	429767	646592	231896
28	पुदुचेरी	33519	20409	16624	16770	14052	12137	6533	14628	4176
29	ओडिशा	470085	408261	468395	365602	255005	296535	126077	223485	175954
30	बिहार	305570	292678	344683	344981	361063	405347	174478	354099	187281
31	पंजाब	549300	578681	605324	718292	712529	670175	333826	582027	289279
32	हरियाणा	587384	542440	593132	579631	628939	614384	281734	558068	307218
33	चंडीगढ़	180616	145990	143520	101617	139172	146256	35294	55242	45277
34	राजस्थान	1132028	1371762	1378527	1514181	1468290	1508232	786604	1192950	465024
35	सिक्किम	2008	3806	550	2583	2440	1906	987	1807	599
36	उत्तराखंड	220660	200931	175405	237197	288999	341452	143974	214860	92671
	कुल	**19328283**	**18378256**	**29917126**	**19861459**	**19157818**	**18371574**	**9204884**	**17028604**	**6935879**

उपाबंध 9

'न्यायालय में लंबित मामलों' के संबंध में लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1838 जिसका उत्तर 16.12.2022 को दिया जाना है के भाग (ड.) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण

विभिन्न न्यायालयों के माध्यम से लंबित और निपटाए गए मामलों का विवरण										
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	ट्रैफिक चालान के लिए वर्चुअल न्या. (1.12.2022 तक)			राष्ट्रीय लोक अदालतें (31.09.2022 तक)		फास्ट ट्रैक न्या. (31.10.2022 तक)		फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें (31.10.2022 तक)	
		प्राप्त हुआ	कार्यवाही पूरी हो गई	भुगतान किए गए चालान	उठाया गया	निपटाया गया	लंबित	निपटारा	लंबित	निपटाया गया
1	आंध्र प्रदेश				1026449	647956	6877	1142	6985	1477
2	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह				5555	3310	0	0		
3	अरुणाचल प्रदेश				7938	1071	0	0		
4	असम	63873	63793	17261	707744	113989	10551	6408	3776	2301
5	बिहार				2594655	305483	0	0	15513	4692
6	चंडीगढ़				77646	15569	0	0	232	96
7	छत्तीसगढ	81	80	31	1539971	1125318	5394	3559	2736	2676
8	दादर और नागर हवेली				4343	1323	0	0		
9	दिल्ली	11716586	11500973	1129171	617852	535025	7068	879	4380	639
	दिल्ली ट्रैफिक वर्चुअल न्या.	3854135	3809937	1480983						
10	दीव और दमण				1959	215	0	0		
11	गोवा				24461	3934	2038	5502	55	22
12	गुजरात				2731581	1185571	4894	3214	4749	5357
13	हरियाणा	8205	1554	145	1100069	673487	887	365	4181	2856
14	हिमाचल प्रदेश	43411	32434	1207	255681	111150	510	273	944	439
15	जम्मू और कश्मीर				459202	390496	685	43	432	95
	जम्मू	36158	35139	14167						
	कश्मीर	181946	176957	46854						
16	झारखंड				1386756	1121405	7969	2050	4927	3229
17	कर्नाटक	44872	44840	37839	5167842	3444607	0	1257	5398	4621
18	केरल	304063	193811	41440	395978	136101	0	1650	6233	7870
	केरल पुलिस विभाग	234713	50995	10415						
19	लद्दाख				1948	1444	0	0		
20	लक्षद्वीप				318	129	0	0		

21	मध्य प्रदेश	4644	2180	75	3125248	419776	0	16	12753	13859
22	महाराष्ट्र	30915	14878	967	34223486	4754239	152312	105960	7719	8952
	पुणे	6080	6056	480						
23	मणिपुर				1905	1343	1023	276	128	72
24	मेघालय	270	269	27	5318	956	0	0	991	201
25	मिजोरम				13529	4432	223	181	47	96
26	नागालैंड				3229	888	0	0	50	46
27	ओडिशा	202992	186298	13444	821017	337065	0	304	12009	5971
28	पुदुचेरी				21110	6405	0	0		
29	पंजाब				824437	392256	245	214	1892	1852
30	राजस्थान	8500	7892	2925	6685251	4572315	0	0	6864	8302
31	सिक्किम				402	232	13	18		
32	तमिलनाडु	116046	108129	46470	840700	447536	107590	19297	5372	3484
33	तेलंगाना				1622035	1611677	0	2645	7349	5727
34	त्रिपुरा	146	124	2	30126	4814	1347	361	309	181
35	उत्तर प्रदेश	6163197	5308812	323318	100809	67438	1036970	232774	76952	38330
36	उत्तराखंड				30114718	18698973	838	282	838	890
37	पश्चिमी बंगाल	15284	8545	339	1078663	788082	72560	18606		
	सकल योग	**23036117**	**21553696**	**3167560**	**97619931**	**41926010**	**1419994**	**407276**	**193814**	**124333**

****